

4. सहायता राशि का उपयोग, मोनिटरिंग एवं उत्तरदायित्व :-

- i. गौशाला/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन तथा पालन पोषण हेतु आवंटित राशि का उपयोग एवं मोनिटरिंग गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 9 के अन्तर्गत गठित "जिला स्तरीय गोपालन समिति" द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

जिला स्तरीय गोपालन समिति :-

जिला कलक्टर	अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
जिला कोषाधिकारी	सदस्य
उप निदेशक, कृषि	सदस्य
जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव

- ii. राशि का नियमानुसार तथा दिशा निर्देशानुसार उपयोग सुनिश्चित करने व क्रियान्वयन हेतु जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तरदायी होंगे। सदस्य सचिव होने के नाते उन्हें जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा आयोजित बैठकों का कार्यवाही विवरण (minutes) एवं समस्त अभिलेखों को अपने कार्यालय में संधारित करना होगा। सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग नियमित पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायता राशि सम्बन्धित गौशाला को समय पर उपलब्ध हो जाये तथा सहायता राशि की सम्पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण भी किया जाना सुनिश्चित करें।

5. सहायता राशि हेतु आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया :-

- i. गौशालाओं को द्वितीय चरण माह (नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी व मार्च 2023) की सहायता हेतु समय सारिणी का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक
1.	गौशालाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुति	03 मार्च से 20 मार्च 2023 तक
2.	कार्यालय जिला संयुक्त निदेशक, में प्राप्त त्रुटियुक्त आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि	15 मार्च से 31 मार्च 2023 तक
3.	संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा गौशाला को त्रुटि युक्त आवेदन संशोधन करने हेतु भेजने की अंतिम तिथि (संशोधन करने हेतु जिला कार्यालय द्वारा आवेदन गौशाला को केवल एक ही बार भिजवाया जावेगा)	25 मार्च 2023 तक
4.	संयुक्त भौतिक सत्यापन संयुक्त भौतिक सत्यापन (रिपोर्ट अपलोड)	21 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक
5.	सहायता राशि के वितरण हेतु जिला स्तरीय गोपालन समिति की बैठक आयोजित करवाना	21 अप्रैल 2023 से
6.	गौशालाओं द्वारा इकजाई बिल प्रस्तुति	प्रशासनिक स्वीकृति के 20 दिवस के भीतर

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा त्रुटियुक्त आवेदन संशोधित करने हेतु गौशाला/संस्था को समस्त आक्षेप एक बार में ही बताना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावे अर्थात उनको सहायता राशि देय नहीं होगी।

- ii. गौशाला/कांजी हाऊस के संचालक/अध्यक्ष/प्रबंधक/सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। ऑफलाईन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि किसी संस्था द्वारा ऑफलाईन आवेदन किया जाता है तो सहायता राशि देय नहीं होगी। आवेदन के साथ शपथ-पत्र, प्रपत्र-5, गत चरण में प्राप्त राशि